प्रकरण संख्या 20 / 17 2017 / 00048 ता0 रजू 12.09.2017

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

1. सन्तरा पत्नी स्व0 कलुआ सिंह आयु 60 साल
2. ममता पुत्री स्व0 कलुआ सिंह आयु 36 साल

} जाति राजपूत निवासी रोधई तहसील मण्डरायल जिला करौली

– अपीलाण्ट्स

बनाम

1. बाबूसिंह आयु 75 साल
2. धनकसिंह आयु 70 साल

} पुत्रान रघुनाथसिंह

3. विवेकसिंह आयु 24 साल
4. अनिलसिंह आयु 22 साल

} पुत्रान उम्मेदसिंह

} जाति राजपूत निवासीयान रोधई तहसील मण्डरायल जिला करौली राज0

5. नायब तहसीलदार मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली राज0

– रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 10.06.1992 न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डरायल जिसकी रूह से नामान्तकरण संख्या 940 ग्राम रोधई तहसील मण्डरायल स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 04.09.2019

अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 792, 793, 1520, 1991, 2044, 2045 कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा ग्राम रोधई तहसील मण्डरायल का विरासत नामान्तकरण सुन्दरसिंह पुत्र प्रतापसिंह के लाऔलाद फौत होने पर विरासत नामांतरकरण संख्या 940 निर्णय दिनांक 10.06.1992 सुन्दरसिंह के भाई रघुनाथसिंह के 4 पुत्रों में से 1 पुत्र कलुआसिंह को छोड़कर 3 पुत्रों बाबूसिंह, धनकसिंह, उम्मेदसिंह, के नाम खोला गया है। कलुआसिंह का नाम उक्त नामांतरकरण में शामिल नहीं होने के कारण कलुआसिंह के वारिसान द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान वकील अपीलाण्ट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय दिनांक 10.06.1992 अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डरायल रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 5 बाबत नामान्तकरण संख्या 940 ग्राम रोधई खिलाफ कानून, रूहेदाद मिसिल, पूर्णतया आरवेट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट्स, विधि विरूद्ध है जो निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 10.06.1992 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को कोई सुनवाई का अवसर व नोटिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही दिया गया है और जैर अपील निर्णय बाबत नामान्तकरण संख्या 940 एक ही दिन में सारी कार्यवाही करते हुये विधि विरूद्ध रूप से एक पक्षीय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट्स का पिता व पति कलुआसिंह व रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 व 2 व मृतक उम्मेदसिंह पिता रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 व 4 एक ही पिता रघुनाथसिंह की संतानें हैं। खसरा नं. 2030 / 1, 2033 / 1 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 13 विस्वा ग्राम राँधई तहसील मण्डरायल में स्थित है जिसका विरासत नामान्तकरण रघुनाथसिंह के चारों पुत्रों यानि रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 व 2 व रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 व 4 के पिता व अपीलाण्ट नं. 1 के हक में कलुआसिंह के मरने के कारण दर्ज हुआ है जिससे कलुआसिंह का रघुनाथसिंह का

जिला कलक्टर
करौली

पुत्र होना व अपीलाण्ट नं. 1 का कलुआसिंह मृतक की पत्नि होना स्पष्ट साबित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 792, 793, 1520, 1991, 2044, 2045 कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा ग्राम रोधई तहसील मण्डरायल का विरासत नामान्तकरण सुन्दरसिंह पुत्र प्रतापसिंह की मृत्यु के दर्ज जैर अपील नामान्तकरण संख्या 940 अपीलाण्ट्स के हक में दर्ज नहीं कर कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है और पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के पति व पिता कलुआसिंह का स्वर्गवास हो चुका है एवं रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 व 4 के पिता उम्मेदसिंह का स्वर्गवास हो चुका है एवं उम्मेदसिंह की पत्नि महादेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 व 4 उम्मेदसिंह के वारिसान है। अपीलाण्ट मृतक कलुआसिंह के वैध वारिसान है और नामांतकरण से सम्बन्धित भूमि के हिस्सेदार है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाण्ट का नाम नामांतकरण में दर्ज नहीं कर कर विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.06.1992 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील नामांतकरण की जानकारी अपीलाण्ट्स को दिनांक 16.08.2017 को पटवारी हल्का से के.सी.सी. पत्रावली के लिये नकल जमाबंदी लेने जाने पर अपीलाण्ट के नाम खाता नहीं होने की कहने पर एवं नामांतकरण संख्या 940 दिनांक 10.06.1992 से रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 व 2 एवं रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 व 4 के पिता उम्मेदसिंह के नाम हो जाने की कहने पर अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 17.08.2017 जिला कर्यालय रिकार्ड रूम करौली में नकल नामांतकरण की आवेदन करने पर व दिनांक 07.09.2017 को नकल नामांतकरण प्राप्त होने पर हुयी है। दिनांक 16.08.2017 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। जानकारी दिवस 16.08.2017 से अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद पेश की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट्स नं. 1,3,4 ने बहस के दौरान कथन किया है कि अपीलाण्ट्स का नाम उक्त नामांतरकरण में दर्ज होने से रह गया है। उक्त नामांतरकरण में अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज किये जाने में रेस्पोण्डेण्ट्स नं. 1,3,4 को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा अदालत हाजा में पेश किया जा चुका है।

रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई तथ्य या आपत्ति इस न्यायालय में पेश की।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। दोनों पक्ष राजीनामे से अपीलाण्ट्स के नाम उक्त नामांतरकरण में दर्ज करवाने में सहमत हैं एवं रेस्पोण्डेण्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार की जाती है एवं नायब तहसीलदार मण्डरायल द्वारा पारित निर्णय नामांतरकरण संख्या 940 ग्राम रोधई, तहसील मण्डरायल निर्णय दिनांक 10.06.1992 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मण्डरायल को प्रतिप्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली